न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— रामरतन सौकरिया आर.ए.एस.

निगरानी संख्या :— 20/2022

मीकाराम पुत्र श्री गंगाराम, उम्र 41 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम भारू का बास, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।

— निगरानीकार

—बनाम—

1. मूलचन्द पुत्र श्री पालाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम भारू का बास, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
2. ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कलां, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू जरिये सरपंच।

— गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0पंचायती राज अधिनियम 1994, विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.02.2002 पट्टा संख्या 70 दिनांकित 20.3.2002 ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कलां,तहसील मलसीसर।

उपस्थितिः—

1. श्री राजेन्द्र बुडानियां, एडवोकेट ——निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री मुकर्रम अंसारी एडवोकेट ———गैर निगरानीकार सं. 1 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक

पत्रावली पेश हुई। उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, विरूद्ध ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कलां, के श्री मूलचन्द पुत्र पालाराम जाति जाट, निवासी ग्राम भारू का बास, तहसील मलसीसर को प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.02.2002 के कम में जारी पट्टा संख्या 70 दिनांकित 20.03.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि —''ग्राम पंचायत कंकड़ेऊ कलां का प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 20.02.2002 एवं पट्टा संख्या 70 दिनांक 20.03.2002 खिलाफ कानून न्याय एवं पत्रावली है ... खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत कंकड़ेऊ कलां में प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.02.2002 के मुताबिक गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा स्वयं की कब्जेशुदा ... भूमि का पट्टा लेने की प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:35 IST
Reason: SelfAttested

पत्र प्रस्तुत होना कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज है। कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 05.3.2002 में कब्जाशुदा भूमि का पट्टा लेना दर्ज है। कार्यवाही रजिस्टर के मुताबिक गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा स्वयं की कब्जाशुदा बसासत भूमि का पट्टा आवेदन प्रस्तुत होना दर्ज होकर निगरानीकार की स्वामित्व एवं कब्जे की दुकान जो निगरानीकार के भाइयों की पुश्तैनी गुवाडी में स्थित है, जिसे निगरानीकार से गैर निगरानीकार संख्या 1 ने दुकान किराये पर लेकर दुकान की भूमि का पट्टा प्रस्ताव सं0 2 में गलत रूप से दर्ज कर पट्टा सं0 70 जारी करवाना आरम्भतः अवैध व शून्य है। विवादित पट्टा सं0 70 की पुश्त पर चतुर्थसीमा में तीन दिशाओं में निगरानीकार के पिता गंगाराम की भूमि होना अंकित है व पश्चिम दिशा में चौक व आम रास्ता होना दर्शित है जिससे पूर्णतः साबित होता है कि उक्त भूमि निगरानीकार व उसके भाइयों के पुराने मकानात व चारदीवारी बनी हुई है। उक्त पट्टाशुदा भूमि गैर निगरानीकार सं0 1 की कब्जेशुदा बसासत की भूमि नहीं रही है। गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा गैर निगरानीकार सं0 1 के विरूद्ध दर्ज दोनों फौजदारी प्रकरणों में उक्त विवादित पट्टा सं0 70 की भूमि निगरानीकार के भाई मनफूल से खरीदशुदा भूमि होना कथित किया गया है। पट्टा पत्रावली के साथ उक्त खरीद के दस्तावेज को प्रस्तुत करना गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा स्वीकृत तथ्य है। पट्टा पत्रावली के साथ पट्टे की भूमि खरीद शुदा होने पर विक्रेता की सहमति/अनापति पट्टा जारी करने से पूर्व प्राप्त नहीं की गई है। विवादित पट्टा संख्या 70 गैर निगरानीकार सं0 2 द्वारा गलत रूप से जारी किया गया है जो अवैध व शून्य दस्तावेज है। विवादित पट्टा सं0 70 का कोई प्रमाणित रिकार्ड गैर निगरानीकार सं0 2 के कार्यालय में नहीं है, इस कारण विवादित पट्टा संख्या 70 जरिये प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.03.2002 आरम्भतः अवैध व शून्य है। विवादित पट्टा संख्या 70 पंजीकृत दस्तावेज भी नहीं है। विवादित पट्टा सं0 70 अस्तित्व में रहने पर उक्त अवैध व शून्य दस्तावेज के आधार पर गैर निगरानीकार सं0 1 निगरानीकार द्वारा दी गई किराये की दुकान बाबत स्वामित्व का विवाद पैदा कर निगरानीकार को कब्जा नहीं दिया जा रहा है। प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 20.02.2002 एवं विवादित पट्टा संख्या 70 दिनांक 20.03.2002 निरस्त होने पर ही निगरानीकार द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में गैर निगरानीकार सं0 2 के विरूद्ध दुकान से बेदखली करने व कब्जा प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत कानूनी कार्यवाही के जरिये कब्जा प्राप्त किया जा सकेगा। अंत में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sankaria
Date: 2024.08.23 10:51:35 IST
Reason: SelfAttested

निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगरानीकार सं0 2 द्वारा जारी प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 20.02.2002 एवं तथाकथित पट्टा संख्या 70 दिनांक 20.03.2002 बहक निगरानीकार सं0 1 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि –''उन्होंने आबादी भूमि में अपनी रिहायशी गुवाड़ी में दुकान बनाकर मूलचन्द को किराये पर दी थी, जिसने किराया नहीं दिया और ग्राम पंचायत ककड़ेऊकलां के सरपंच ग्राम सेवक से षड़यंत्र पूर्वक पट्टा संख्या–70 बनवा लिया, जिस पर उन्होंने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। दूसरे भाई ने भी एफ0आई0आर0 दर्ज करवायी थी। निगरानी जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद है। ग्राम पंचायत कंकड़ेऊ कलां में प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.2.2002 के मुताबिक गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा स्वयं की कब्जेशुदा बसासत भूमि का पट्टा लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज है। कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 05.3.2002 में कब्जाशुदा भूमि का पट्टा लेना दर्ज है। कार्यवाही रजिस्टर के मुताबिक गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा स्वयं की कब्जाशुदा बसासत भूमि का पट्टा आवेदन प्रस्तुत होना दर्ज होकर निगरानीकार की स्वामित्व एवं कब्जे की दुकान जो निगरानीकार के भाइयों की पुश्तैनी गुवाडी में स्थित है जिसे निगरानीकार से गैर निगरानीकार संख्या 1 ने दुकान किराये पर लेकर दुकान की भूमि का पट्टा प्रस्ताव सं0 2 में गलत रूप यसे दर्ज कर पट्टा सं0 70 जारी करवाना आरम्भतः अवैध व शून्य है। विवादित पट्टा सं0 70 की पुश्त पर चतुर्थसीमा में तीन दिशाओं में निगरानीकार के पिता गंगाराम की भूमि होना अंकित है व पश्चिम दिशा में चौक व आम रास्ता होना दर्शित है जिससे पूर्णतः साबित होता है कि उक्त भूमि निगरानीकार व उसके भाइयों के पुराने मकानात व चारदीवारी बनी हुई है। उक्त पट्टाशुदा भूमि गैर निगरानीकार सं0 1 की कब्जेशुदा बसासत की भूमि नहीं रही है। गैर निगरानीकार सं0 1 [illegible] गैर निगरानीकार सं0 1 के विरूद्ध दर्ज दोनों फौजदारी प्रकरणों में उक्त विवादित पट्टा सं0 70 की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:35 IST
Reason: SelfAttested

निगरानीकार के भाई मनफूल से खरीदशुदा भूमि होना कथित किया गया है। पट्टा पत्रावली के साथ उक्त खरीद के दस्तावेज को प्रस्तुत करना गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा स्वीकृत तथ्य है। पट्टा पत्रावली के साथ पट्टे की भूमि खरीद शुदा होने पर विक्रेता की सहमति/अनापति पट्टा जारी करने से पूर्व प्राप्त नहीं की गई है। विवादित पट्टा संख्या 70 गैर निगरानीकार सं0 2 द्वारा गलत रूप से जारी किया गया है जो अवैध व शून्य दस्तावेज है। विवादित पट्टा सं0 70 का कोई प्रमाणित रिकार्ड गैर निगरानीकार सं0 2 के कार्यालय में नहीं है, इस कारण विवादित पट्टा संख्या 70 जरिये प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.3.2002 आरम्भतः अवैध व शून्य है। विवादित पट्टा संख्या 70 पंजीकृत दस्तावेज भी नहीं है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार सं0 2 द्वारा जारी प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 20.02.2002 एवं तथाकथित पट्टा संख्या 70 दिनांक 20.3.2002 बहक निगरानीकार सं0 1 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस वकील विद्धान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नंबर–1 ने कथन किया कि गैर निगरानीकार के पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत ककड़ेऊकलां द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत विधिक प्रकिया अपनायी जाकर गैर निगरानीकार नंबर 1 मूलचंद पुत्र पालाराम को पट्टा संख्या–70 दिनांक 20.03.2002 को जारी किया गया है। निगरानी मियाद बाहर है, चलने योग्य नहीं है, निगरानीकार का कथन कि जब किराया नहीं दिया तो 20 वर्ष तक निगरानीकार द्वारा क्या किया गया। वर्ष 2019 में राजनैतिक रंजीश के कारण ये कार्यवाही की गई है। पुलिस ने बेचान मानकर एफ0आर0 दी है। पट्टा संख्या 70 जारी होने के 20 साल बाद निगरानीकार द्वारा मनगढ़त कहानी तैयार करके निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकार के मौखिक कथनों पर विश्वास करके करीब 20 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कलां द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत जारी पट्टे को कानूनन निगरानीकार के मौखिक कथनों पर विश्वास करके निरस्त नहीं किया जा सकता। निगरानीकार द्वारा पट्टा जारी होने के 20 वर्ष बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है जिन दोनों प्रकरणों में पुलिस द्वारा एफ0आर0 प्रस्तुत की गई है। निगरानीकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:35 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा हस्तगत प्रकरण में पट्टा संख्या 70 दिनांक 20.03.2002 ग्राम पंचायत ककड़ेऊकला द्वारा आबादी भूमि में गैर निगरानीकार नंबर 1 मूलचंद पुत्र श्री पालाराम की कयशुदा पुराने कब्जे के आधार पर राज0 पंचायती राज के नियम 1996 के नियम 157 के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किया जाना बताया गया है ।

हस्तगत प्रकरण में गैर निगरानीकार संख्या–2 ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कलां से गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 70 की पट्टा पत्रावली एवं रिकार्ड तलब किये जाने पर ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कला द्वारा पत्रांक ग्रा.पं.क./2023/ 71 दिनांक 27.3.2023 द्वारा बताया गया कि श्री मूलचंद को जारी पट्टा संख्या 70 दिनांक 20.03.2002 की पत्रावली ग्राम पंचायत ककड़ेऊकलां के चार्ज में नहीं है, उपरोक्त पट्टा से संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में लिये गये सम्पूर्ण इन्द्राज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जा रही है जो संलग्न हैं,आदि।''

हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का मुख्य कथन है कि –'' ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कलां के सरपंच व ग्राम सेवक ने गैर निगरानीकार संख्या 1 श्री मूलचन्द पुत्र श्री पालाराम निवासी भारू का बास द्वारा गैर निगरानीकार नंबर 1 को जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के पट्टा जारी करने के नियमों एवं विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना ही उसकी पुश्तैनी कब्जाशुदा आवासीय गुवाड़ी में बनी दुकान का जारी किया गया है।

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष द्वारा उठाये के सभी बिन्दुओं पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कलां के कार्यवारी रजिस्टर की दिनांक 20.02.2002 की बैठक कार्यवाही विवरण में प्रस्ताव संख्या–2 में गैर निगरानीकार मूलचन्द पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी भारू का बास अपनी कब्जेशुदा बसासत भूमि का पट्टा लेने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जाना एवं एक माह का आपति नोटिस जारी किया जाना का प्रस्ताव लिया जाना अं[illegible] [illegible]था ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 05.03.20[illegible] के प्रस्ताव सं[illegible] द्वारा मूलचन्द पुत्र पालाराम के पट्टा प्रकरण में श्रीमती भागोत[illegible] [illegible] देवी व श्री नन्द किुमार शर्मा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:35 IST
Reason: SelfAttested

कमिश्नर नियुक्त किया गया है जो कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 20.3.2002 से पहले पेश करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तथा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.3.2002 में प्रस्ताव संख्या–2 में अंकित किया गया है कि – "मूलचन्द पुत्र श्री पालाराम जाति जाट निवासी भारू का बास अपनी बसासत भूमि का पट्टा लेने हेतु पत्रावली पेश हो चुकी है। कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, आपति नोटिस जारी हो चुका है, किसी को कोई आपति नहीं है, गांव के आवागमन व सौंदर्य पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है, आस–पास के पड़ौसियों से पूछताथ की गई, मौके पर निरीक्षण किया गया किसी को कोई आपति नहीं है। प्रार्थी जहां का पट्टा लेना चाहता है पट्टा दे दिया जावे। उतर से दक्षिण 13 फिट, पूरब से पश्चिम 11 फिट, इस प्रकार कुल 15.85 वर्गगज है। प्रार्थी से 100 रूपये लेकर पट्टा जारी कर दिया जावे।

इस प्रकार ग्राम पंचायत ककडेऊ कलां द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही रजिस्टर की सत्यापित प्रति के अवलोकन से यह तो स्पष्ट साबित है कि ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कलां के समक्ष पट्टा संख्या–70 जारी करवाने से पूर्व गैर निगरानीकार संख्या–1 मूलचंद द्वारा आवेदन किया गया है जिस पर मौका कमिश्नर नियुक्त हुआ है तथा आपति नोटिस आदि जारी करने के प्रस्ताव पारित हुये हैं। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में सरपंच की अध्यक्षता के साथ अन्य पंचगणों के हस्ताक्षर भी हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कलां के ग्राम विकास अधिकारी के रिकार्ड में उक्त पट्टा संख्या–70 की पत्रावली नहीं होने के आधार पर ही उक्त पट्टे की वैधता को अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि निगरानीकार की कब्जेशुदा या हक हिस्से की भूमि रही हो, इस संबंध में निगरानीकार द्वारा ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। निगरानीकार की समस्त कहानी मौखिक है जिसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। पट्टा संख्या 70 दिनांक 20.3.2002 को जारी हुआ है। निगरानी पट्टा जारी होने के 20 वर्ष बाद प्रस्तुत हुई। निगरानीकार का यह कथन कि उसने गैर निगरानीकार संख्या 1 को दुकान किराये पर दी थी, जब उसने 20 वर्ष तक किराया नहीं दिया तो उनके द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई इस संबंध में कोई कारण प्रस्तुत नहीं हुआ है। पत्रावली पर ना तो पट्टा संख्या–70 जिसको निगरानीकार द्वारा निरस्त करवाना चाहा गया है, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:35 IST
Reason: SelfAttested

दुकान किराये पर देने जैसे कोई रसीद आदि पत्रावली पर प्रस्तुत हुई है। केवल मात्र निगरानीकार के मौखिक कथनों पर विश्वास किया जाकर 20 वर्ष पूर्व आबादी भूमि में ग्राम पंचायत ककड़ेऊकलां द्वारा जारी पट्टे को निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। जहां तक ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कलां में उक्त पट्टा संख्या 70 दिनांक 20.3.2002 की पट्टा पत्रावली रिकार्ड में नहीं होने का प्रश्न है, इस प्रकरण में दो–दो मुकदमें दर्ज हुये हैं, पट्टा पत्रावली निश्चित रूप से अनुसंधान में चाही गई होगी और रिकार्ड के रखरखाव की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की होती है। केवल मात्र ग्राम पंचायत में पट्टा पत्रावली का रिकार्ड चार्ज में नहीं होने मात्र के आधार पर ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कलां की पंचायत बैठकों में पारित प्रस्तावों की सत्यता को झुठलाया नहीं जा सकता। ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कलां द्वारा यह नहीं लिखा गया कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया हो और फर्जी हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायाचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर निरस्त की जाती है। ग्राम पंचायत ककड़ेऊकलां प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.3.2002 की पालना में जारी पट्टा संख्या 70 श्री मूलचन्द पुत्र श्री पालाराम, जाति जाट निवासी भारू का बास, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू को यथावत रखा जाता है। ग्राम पंचायत ककड़ेऊ कलां को आदेश प्रति सहित रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:35 IST
Reason: SelfAttested